



2026:AHC: 55934

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4626/2026

अनुराग सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: पंकज सत्संगी
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- 1- राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सत्संगी, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आशुतोष सिंह को सुना गया।
- 3- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना इस्लाम नगर, जिला बदायूं में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 149 वर्ष 2025, बी.एन.एस की धारा 80(2), 85 और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- 4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि आवेदक मृतका का पति है लेकिन झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान वाद में फँसाया गया है।
- 5- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, वास्तव में मृतका की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध आवेदक के साथ संपन्न हुई थी और इसलिए वह आवेदक के साथ अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया और इसलिए अक्सर पति-पत्नी के बीच गंभीर विवाद होता था और केवल इसी कारण अपनी शादी के पांच माह के भीतर उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुझाव देती है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने के कारण हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुझाव देती है कि, लिगेचर मार्क के अलावा मृतका को एक कटा हुआ घाव और एक रैखिक खरोंच भी आई है, लेकिन दोनों चोटें मामूली हैं और इन चोटों की प्रकृति पर विचार करते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आत्महत्या करने का प्रयास करते समय, उसे अपनी चूड़ियों से ये चोटें आईं।

7- उन्होंने आगे तर्क दिया कि, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में वह 16.06.2025 से यानी पिछले नौ माह से अधिक समय से कारागार में है।

8- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि, वर्तमान वाद के अलावा आवेदक का एक अन्य वाद का आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वह वाद मामूली अपराध से संबंधित है। वह आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए, तथ्यों पर अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

10- यद्यपि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की शादी के पांच माह के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और चार पहिया वाहन की मांग के संबंध में यातना का भी अभिकथन है, लेकिन शव-परीक्षण सर्जन के अनुसार मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई है, इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

11- इसके अलावा, यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह सुझाव देती है कि, लिगेचर मार्क के अलावा मृतका को दो अन्य चोटें भी आईं जिनमें एक कटा हुआ घाव और एक रैखिक खरोंच शामिल है, लेकिन दोनों चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर मामूली चोटें प्रतीत होती हैं और चोटों के स्थान पर विचार करते हुए इन चोटों के संबंध में बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से इस स्तर पर इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, शादी की छोटी अवधि पर विचार करते हुए भी वर्तमान जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को इस स्तर पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12- इसके अलावा, यद्यपि यह परिलक्षित होता है कि, वर्तमान वाद के अलावा आवेदक का एक अन्य वाद का आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह वाद मामूली अपराध से संबंधित है और वर्तमान वाद में आवेदक पिछले नौ माह से अधिक समय से कारागार में है।

13- इसके अलावा, विधि स्थापित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और दंडात्मक या निवारक उद्देश्य के लिए जमानत आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

14- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

15- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **अनुराग सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 मार्च, 2026

शहरोज़

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।